दिनांक–08.11.2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति विवरणी :–

1. **श्री अमित खरे, सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची।**
2. **श्री कमल किशोर सोन, सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
3. **श्री राहुल पुरवार, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड।**
4. **श्रीमती पूजा सिंघल, सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।**
5. **श्री राम कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
6. **श्री बद्रीनाथ चौबे, संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।**
7. **श्री एम0एम0 प्रसाद, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची।**
8. **श्री रविशंकर, संयुक्त सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची।**
9. **श्री आलोक त्रिवेदी, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।**

सर्वप्रथम विभागीय सचिव द्वारा इस बैठक की महत्ता एवं उपयोगिता के संदर्भ में समिति को अवगत कराया गया। तदुपरान्त विगत बैठक की कार्यवाही एवं अद्यतन अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

1. जिला स्तर पर गठित R&R committee की नियमित बैठकें आयोजित की जाय, बैठक की कार्यवाही जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय एवं विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।
2. अनुसूची–4 के अंतर्गत विशेषकर सी.सी.एल., ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. द्वारा RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1 सितम्बर, 2015 से अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के सभी मामलों में पहली अनुसूची के अनुसरण में प्रतिकर के अवधारण और दूसरी अनुसूची के अनुसरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा तीसरी अनुसूची के अनुसरण में अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं से संबंधित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंध लागू होने संबंधी अधिसूचना के साथ ध्यानाकर्षित कर अनुपालन सुनिश्चित करायें।

   सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा इस संदर्भ में यह भी निदेशित किया गया कि इसकी सूचना उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग को भी दी जाय व भारत सरकार के DoLR से भी उनके स्तर से इसके अनुपालन हेतु निदेशित किया जाय।
3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करे कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

4. में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2015 के अंतर्गत R&R से संबंधित सभी सुविधायें ससमय प्रभावित परिवारों को उपलब्ध हो।

5. भू–अर्जन से संबंधित राशि को कोषागार में नहीं रखने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विधि (न्याय) विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाय।

6. भू–अर्जन से संबंधित राशि को प्रत्येक जिला में अधिकतम दो बैंक (i) सहकारिता बैंक (ii) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही रखा जाय एवं प्रत्येक माह बैंक से इसका मिलान किया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

(अमित खरे)
सदस्य,
राजस्व पर्षद।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–8ए./भू.अ.नि. (नियमा.)–42/2014 901/Rev. राँची, दिनांक– 14-12-17

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त–सह–पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्त्ता–सह–पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

(के0 श्रीनिवासन)
निदेशक,
भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं
परिमाप निदेशालय

Dir./Bhu-arjan/proce../08.11.17 (lalit)